# *विदेशी मुद्रा गतिविधियां*

**जून 2008**

## (i) सेवा-क्षेत्र द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार - उदारीकरण

सेवा-क्षेत्र के प्रतिष्ठानों जैसे होटल, हॉस्पिटल, और साफ्टवेयर कंपनियों को अनुमोदित मार्ग के तहत पूँजीमाल मंगवाने के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अनुमति प्रदान की गई है। ईसीबी नीति के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित रहेंगे।सेवा-क्षेत्र की कंपनियों सहित अन्य कंपनियों को पूँजीमाल के आयात के लिए 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए प्रति आयात ऋण 20 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की अनुमति जारी रहेगी।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.46 दिनांकित 2 जून 2008]

## (ii) जोखिम प्रबंध और अंतर- बैंक लेनदेन -घरेलू तेलशोधन और विपणन कंपनियों का पण्य हेजिंग एक्सपोज़र

भारत के निवासियों को कतिपय नियमों व शर्तों पर, किसी पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग के लिए भारत के बाहर स्थित पण्य मंडी अथवा बाजार में संविदा करने की अनुमति दी गई है । इसके अतिरिक्त, चुनिंदा वाणिज्य बैंक प्राधिकृत व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/बाजारों में पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग के लिए कंपनियों को अधिकृत किया गया है। घरेलू आयल रिफाइनरी एण्ड विपणन कंपनियों को भी इनवेंटरी वाल्यूम्स पर आधरित पण्य कीमत जोखिम की हेजिंग की अनुमति प्रदान की गयी है।

घरेलू आयल रिफाइनिंग कंपनियों को उनकी पण्य कीमत जोखिम की सुगम त्वरित हेजिंग हेतु निम्नलिखित और सुविधाएं प्रदान की गयी हैं :-

### (क) कच्चे तेल की घरेलू खरीद और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की हेजिंग

प्रचलित व्यापार प्रथाओं के अनुसार , घरेलू उत्पादित कच्चा तेल रिफाइनरीज द्वारा अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खरीदा जाता है । तथापि, कच्चे तेल की घरेलू खरीद पर पण्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति नहीं है।घरेलू कच्चे तेल की रिफाइनिंग कंपनियों को उनकी जोखिम की हेजिंग सहूलियत के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें कच्चे तेल की घरेलू खरीद और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की विदेशी मुद्राओं/ बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी निहित संविदाओं के आधार पर जोखिम की हेजिंग की अनुमति प्रदान की जाये ।निहित संविदाओं के आधार पर ही हेजिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी।

### (ख) कच्चे तेल की संभावित आयातों की हेजिंग

कच्चे तेल की हेजिंग को और अधिक लचीला बनाने के उद्देश्य से कच्चे तेल की घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों को विदेशी मुद्राओं /बाजारों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये औसतन आयात के 50 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी अधिक हो, हेजिंग की अनुमति प्रदान की जाये । इस सुविधा के तहत बुक की गयी संविदाएं हेजिंग की अवधि के दौरान के आयात आदेशों को प्रस्तुत करके विनियमित करना होगा। कंपनियों से इस आशय का एक प्रमाणपत्र लिया जाए।

हेजिंग, कतिपय शर्तों तथा दिशा-निर्देशों के अधीन, विशेष रूप से केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा ही की जानी है ।

श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अपनी हेजिंग में निवेश करने वाली कच्चे तेल की घरेलू रिफाइनिंग कंपनियां निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :

i. नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों जो कि समग्र रूपरेखा परिभाषित करती हों जिनके अंतर्गत व्युत्पन्न कार्यकलाप किये जाते हों और जोखिम को नियंत्रित किया जाता हो।

ii. किसी विशिष्ट कार्य और ओटीसी बाजारों में भी लेनदेन करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी ली गयी हो ।

iii. बोर्ड की मंजूरी में बाजार -दर- बाजार के लिए स्पष्ट नीति तथा ओटीसी डेरिवेटिव आदि के लिए अनुमत काउंटर पार्टियों के नाम आदि शामिल होने चाहिये ; और

iv. कच्चे तेल की खरीद करने वाली घरेलू कंपनियां ओटीसी लेनदेनों की सूची छमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत करें ।यह सूची इस योजना के तहत हेजिंग की सुविधा जारी रहने की अनुमति देने से पूर्व श्रेणी-I के सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के द्वारा प्रमाणित होनी चहिये ।

श्रेणी-I के प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कहा गया है, ग्राहक द्वारा प्रयुक्त हेजिंग उत्पादों की " प्रयोक्ता औचित्यतता "और " अनुकूलता "भी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए ।

ए पी(डीआइआर सीरीज़)परिपत्र सं.47 दिनांकित 03 जून 2008

### (iii) समुद्रपारीय निवेश : उदारीकरण/ युक्तिकरण

समुद्रपारीय निवेशों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को निम्नवत् और अधिक उदार बनाया गया है:

### ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में समुद्रपारीय निवेश

वर्तमान में, भारतीय पार्टी को स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंतिम लेखा परीक्षण की तारीख में तुलनपत्र की निवल मालियत के 400 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति है। समुद्रपारीय निवेश में भारतीय पार्टियों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय कंपनियों को अब ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों जैसे ऑयल, गैस, कोयला तथा खनिज कच्ची धातुओं, आदि में अंतिम लेखापरीक्षण की तारीख में तुलनपत्र की निवल मालियत के 400 प्रतिशत से ऊपर समुद्रपारीय निवेश की अनुमति दी जाए ।

### ऑयल सेक्टर में समुद्रपारीय अनिगमित इकाइयों में निवेश

(i) वर्तमान फेमा के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा विधिवत् अनुमोदित नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) को बिना किसी सीमा के ऑयल सेक्टर में स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनिगमित इकाइयों में समुद्रपारीय निवेश की अनुमति दी गई है। यह सुविधा अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल) को भी प्रदान कर दी गयी है ।

(ii) इस प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाने के आशय से भारत सरकार के परामर्श से अब यह निर्णय लिया गया है कि अन्य भारतीय कंपनियों को भी अब ऑयल सेक्टर में अनिगमित इकाइयों को अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निवल मलियत के 400 प्रतिशत तक की समुद्रपारीय निवेश की अनुमति दी जाए । ऐसा यह सुनिश्चित करने के बाद किया जाए कि प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है और ऐसे निवेश के समर्थन में बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रति संलग्न की गयी है।

### निर्यातों का पूँजीकरण

प्लांट, मशीनरी, उपकरण,और अन्य माल/ सॉफ्टवेयर के निर्यात के भुगतान के कारण विदेशी इकाई से भारतीय पार्टी को देय पूरी / आंशिक राशि को भारत के बाहर पूँजीकरण के जरिये सीधे निवेश करने वाली भारतीय पार्टी को, उन मामलों में, जहाँ निर्यात के ऐसे आगम राशि की वसूली निर्यात की तारीख से छः माह से अधिक समय तक बकाया रही हो , भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा । इस व्यवस्था को विदेशी व्यापार नीति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से भारतीय पार्टी, इसके बाद से ,निर्यात आगम के पूँजीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केवल उन्हीं मामलों के लिए आये जिनमें कि निर्यात राशि की वसूली निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बकाया रहती है।

ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.48 दिनांकित 3 जून 2008

### (iv) माल और सेवाओं का निर्यात - बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत दावों का भुगतान-बट्टे खाता डालना

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को ईसीजीसी द्वारा निपटाये गये बकाया निर्यात बिलों के संबंध में उन्हें बट्टे खाता डालने तथा एक्सओएस विवरण से हटा देने अनुमति दी गई है ।

प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को , ईसीजीसी द्वारा निपटाये गये निर्यात बिलों के अतिरिक्त, बीमा नियंत्रक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित बीमा कंपनियों द्वारा निपटाये गये निर्यात बिलों को बट्टे खाता डालने की अनुमति दी गई है ।ईसीजीसी/ इरडा में पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा यह पुष्टि करते हुए कि बकाया निर्यात बिलों से संबंधित दावों का निपटान कर दिया गया है और निर्यात प्रोत्साहन,यदि कोई हों,अभ्यर्पित कर दिए गए हैं , निर्यात बिलों को बट्टे खाते डाला गया है, और उन्हें एक्सओएस विवरण से हटा दिया गया है, आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए।ऐसे बट्टे खाते डालने को 10 प्रतिशत की सीमा में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ईसीजीसी/बीमा कंपनियों द्वारा निपटाए गए दावों का अर्थ विदेशी मुद्रा में की गई निर्यात वसूली से नहीं लगाना चहिये और दावा की गई राशि को एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी एकाउंट में क्रेडिट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.49 दिनांकित 3 जून 2008

### (V) माल और सेवाओं का निर्यात - निर्यात आगमों की वसूली और प्रत्यावर्तन-उदारीकरण

फेमा के वर्तमान उपबंधों के अनुसार, निर्यात किये गये सामान अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य की राशि निर्यात की तिथि से छह महीने के अंदर वसूली और भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए। निर्यात किये गये सामान अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य की राशि की वसूली और भारत को प्रत्यावर्तित किये जाने की वर्तमान अवधि को निर्यात की तिथि से छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दिया गया है, बशर्ते की एक वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा की जाए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) में स्थित किसी इकाई के द्वारा निर्यात किये गये सामान अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात और रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत के बाहर बनाये गये भंडार गृहों को किये गये निर्यातों के मूल्य की राशि की वसूली और भारत को प्रत्यावर्तित किये जाने की वर्तमान अवधि से संबंधित उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.50 दिनांकित 3 जून 2008]

### (vi) भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 और 23 दिसंबर 1985 के दिनांकित आस्थगित भुगतान प्रोटोकाल

13 मई 2008 से विशेष मुद्रा बास्केट के रुपया मूल्य को 60.5828 रुपए निश्चित कर दिया गया है।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.51 दिनांकित 3 जून 2008]

### (vii) भारत सरकार और पूर्व यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 और 23 दिसंबर 1985 दिनांकित आस्थगित भुगतान प्रोटोकाल

23 मई 2008 से विशेष मुद्रा बास्केट के रुपया मूल्य को 62.5198 रुपए निश्चित कर दिया गया है।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.52 दिनांकित 11 जून 2008]

### (viii) पंजीकृत न्यास/सोसायटी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

विदेशी निवेश की नीति को और उदार बनाने के लिए, भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि विनिर्माण / शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत न्यास और सोसायटियों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से भारत के बाहर स्थित संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी में उसी क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार अनुपालन किया जाए।

[ए.पी.(डीआइआर सीरीज)परिपत्र सं.53 दिनांकित 27 जून 2008]